संख्या-57 /2316/30-3-14-16बी/2012

प्रेषक,

नवेंद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 25 अगस्त, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-90(जी)सड़क सुरक्षा/14-45स0सु0(बजट)/13, दिनॉक 14-08-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सड़क सुरक्षा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-आयोजनागत-001-00-निदेशन तथा प्रशासन-03-00-अधिष्ठान व्यय-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 7000 हजार (रूपए सत्तर लाख मात्र) एवं 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 3000 हजार (रूपए तीस लाख मात्र) अर्थात सड़क सुरक्षा योजना हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 10000 हजार (रूपए एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़कों पर यातायात के दबाव पर नियन्त्रण रखने के लिए जनसामान्य को यातायात नियमों की जानकारी विज्ञापन साहित्य, सेमिनार, वाद-विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद कार्यक्रम आदि के माध्यम से देने तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों से अवगत कराने हेतु सड़क सुरक्षा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में मद संख्या-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन तथा मद संख्या-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि क्रमश: रू0 7000 हजार एवं रू0 3000 हजार अर्थात कुल रू0 10000 हजार (रूपए एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-आयोजनागत-001-00-निदेशन तथा प्रशासन-03-00-अधिष्ठान व्यय-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय एवं लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-00-अधिष्ठान व्यय-00-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2316(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in